रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 17, 1985/श्रावण 26, 1907

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 17, 1985/SRAVANA 26, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1985

का. नि. आ 184 :—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन चीफ दक्षिण कमान, द्वारा कर्नल आर. सी. शर्मा का त्याग-पत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, नसीराबाद में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा. सं. 19/3/सी/भू. व छा./65/4031/डी (क्यू. एण्ड सी.)]

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 30th July, 1985

S.R.O. 184.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Nasirabad by reason of the acceptance by the General Officer Commanding in-Chief, Southern Command of the resignation of Col. R. C. Sharma.

[F. No. 19/3/C/L&C/65/4031|D(Q&C)]

का. नि. आ. 185—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 21) की धारा 13 की उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन के कमान अफसर द्वारा कर्नल ए. एस. चोनकर को छावनी बोर्ड, नसीराबाद का सदस्य मनोनीत किया गया है। यह मनोनयन कर्नल आर. सी. शर्मा के स्थान पर किया गया है जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है।

[फा. सं. 19/3/सी/भू. व छा./65/4031/डी (क्यू. एंड सी.)]

करतार सिंह, अवर सचिव

S.R.O. 185.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Lt. Col. A. S. Chonkar has been nominated by the Officer Commanding the Station as member of Cantonment Board, Nasirabad vide Lt. Col. R. C. Sharma who has resigned.

[F. No. 19/3/C/L&C/65/4031-|D(Q&C)]

KARTAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1985

का. नि. आ. 186 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और

Attested

Asstt Controller (Business)

595 GI/85

विकास सेवा नियम, 1979 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 1985 है ।

(ii) ये 1 जून 1985 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 में—

(1) नियम 2 में, उपनियम (2) का लोप किया जाएगा ;

(2) नियम 7 के उपनियम (2) के परन्तुक के सिवाय, "आयोग के परामर्श से" शब्द, जहां कहीं भी आए हैं, उनका लोप किया जाएगा

(3) नियम 7 के उपनियम (2) में, "आयोग", शब्द जहां भी आया है उसके स्थान पर "संघ लोक सेवा आयोग" शब्द रखे जाएंगे ;

(4) नियम 4 के उपनियम (5) में, "और आयोग" के परामर्श से श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगी" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(5) नियम 8 के उपनियम (1) के खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(6) नियम 8 के उपनियम (1) के खंड (क) में, "परीक्षा की स्कीम के अनुसार, जो आयोग के परामर्श से अनुमोदित की जाएगी" और "आयोग के अनुमोदन के अधीन रहते हुए" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(7) नियम 8 के उपनियम (2) के खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ङ) विभिन्न स्थापनाओं/प्रयोगशालाओं, या मुख्यालयों में आयोजित मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिशें, वैज्ञानिक "च" और वैज्ञानिक "छ" की श्रेणी में प्रोन्नति के मामले के सिवाय, वर्ष की पहली जुलाई से कार्यान्वित की जाएंगी । यह तारीख ऐसे सभी अधिकारियों के बारे में, जिन्हें प्रोन्नति के लिए उपयुक्त मान लिया गया है, इस श्रेणी में उनकी ज्येष्ठता अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, चयन की तारीख समझी जाएगी, बशर्ते कि वे उस तारीख को कर्तव्य पर हों । तथापि, ऐसे अधिकारी, जो उस तारीख को अपने स्थापनों, प्रयोगशालाओं या मुख्यालयों से छुट्टी पर होने, अपने स्थापनों, प्रयोगशालाओं या मुख्यालयों में अपना कार्यभार संभालने की तारीख से अपना कार्यभार उस श्रेणी में संभालेंगे जिसमें उन्हें प्रोन्नति दी गई है, परन्तु इस से उनके चयन की तारीख या उसी मूल्यांकन बोर्ड द्वारा प्रोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गए अन्य अधिकारियों की तुलना में उच्चतर श्रेणी में उनकी अन्तः ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । जहां तक भारत में या विदेश (मू. नि. 51 के अन्तर्गत) प्रशिक्षण पा रहे व्यक्तियों का संबंध है, अगली उच्चतर श्रेणी में उन्हें उस तारीख से प्रोन्नत किया जाएगा जिस तारीख को वे, यदि प्रशिक्षण पर न गए होते तो प्रोन्नत किए जाते । ऐसी प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन होगी :—

(1) ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को मू. नि. 9 (6) (ख) के अधीन कर्तव्य माना जाता है ;

(2) उन्हें अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अनुमोदित कर दिया गया है ;

(3) उनके सभी उपलब्ध वरिष्ठ व्यक्तियों को, उस श्रेणी में प्रोन्नत कर दिया गया हो, सिवाय उनके जिन्हें किसी विशिष्ट श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अयोग्य माना गया है" ;

(8) नियम 8 के उप-नियम (3) में, "सेवा को भविष्य में बनाए रखने के लिए नियम 6 की क्रम संख्या (2) से (6) तक में वर्णित विभिन्न पद्धतियों के अधीन अधिकारियों का चयन आयोग के परामर्श से वहां के सिवाय किया जाएगा, जहां केन्द्रीय सरकार के समूह "क" के अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाए" शब्दों का लोप किया जाएगा ,

(9) अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची 1

[नियम 8 का उप नियम (2) देखिए]

रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा में प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन बोर्ड का प्रगठन मूल्यांकन बोर्ड का गठन निम्नानुसार किया जाएगा :—

(1) अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त ।

(2) महानिदेशक, अनुसंधान और विकास द्वारा नामनिर्दिष्ट उपयुक्त स्तर के दो विभागीय अधिकारी,—सदस्य

(3) दो बाहरी विशेषज्ञ जिन्हें सरकार नामनिर्दिष्ट करेगी—सदस्य

टिप्पणी:—(1) क्रम संख्यांक (2) में उल्लिखित अधिकारी, प्रोन्नति के लिए विचाराधीन व्यक्तियों की श्रेणी साधारणतया एक श्रेणी ऊपर के होने चाहिए ।

(2) अध्यक्ष से भिन्न, बोर्ड के किसी सदस्य की अनुपस्थिति से मूल्यांकन बोर्ड की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी".

(10) अनुसूची 3 में टिप्पण 1 में, "आयोग" शब्द के स्थान पर "सरकार" शब्द रखा जाएगा ।

[10351/डी आर डी एस/आर डी/कार्मिक-1/3929/डी (आर एंड डी)]

एम. एल. मलहोत्रा, अवर सचिव

टिप्पणी:—रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 भारत के राजपत्र में भाग II, खंड 4 में का० नि० आ० 8 तारीख 30 दिसम्बर 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का० नि. आ. 307, तारीख 10 अक्तूबर, 1980, का० नि० आ० 196 तारीख 02 अगस्त 1982, का० नि० आ० 159 तारीख 06 मई 1983, का० नि० आ० 176 तारीख 07 अगस्त 1984, का० नि० आ० 228 तारीख 13 नवम्बर, 1984, और आ. नि. आ. 170 तारीख 12 जुलाई 1985 द्वारा संशोधित किए गए हैं ।

का० नि० आ० का व्याख्यात्मक ज्ञापन तारीख

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1985, उसा. का. नि. 512, तारीख 18 मई, 1985 द्वारा संशोधित किए गए हैं, और विनियमों की अनुसूची में रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों की भर्ती और प्रोन्नतियों को सम्मिलित करने के लिए 01 जून 1985 को भारत के राजपत्र में भाग II खंड 3 उपखंड (1) में पृष्ठ 1310 पर अधिसूचित किए गए थे । इस संशोधन के परिणामस्वरूप रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम 1979 भी इस का० नि० आ० द्वारा संशोधित किए जा रहे हैं । क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग परामर्श से छूट विनियम 1958 का संशोधन 01 जून 1985 से प्रभावी है, इसलिए रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 1985 उसी तारीख, अर्थात् 01 जून 1985 से लागू होंगे । इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से बनाने से सेवा के किसी भी सदस्य के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

Attested

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

New Delhi, the 2nd August, 1985

S.R.O. 186.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely:—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Second Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st June, 1985.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979,

(1) In rule 2, sub-rule (2) shall be omitted;

(2) the words "in consultation with the Commission" wherever they occur shall be omitted except in the proviso to sub-rule (2) of rule 7.

(3) in rule 7, sub-rule (2) for the word "Commission", wherever it occurs the words "Union Public Service Commission" shall be substituted;

(4) In sub-rule (5) of rule 4, the words "and fix his seniority in the grade in consultation with the Commission" shall be omitted;

(5) Clause (c) of sub-rule (1) of rule 8 shall be omitted.

(6) in clause (a) of sub-rule (1) of rule 8, the words "in accordance with the scheme of examination that may be approved inconsultation with the Commission" and "subject to approval by the Commission" shall be omitted.

(7) for clause (e) of sub-rule (2) of rule 8, the following clause shall be substituted, namely :—

"(e) Recommendations of the Assessment Boards held at different Estabilshments, Laboratories or Headquarters, shall be implemented from the first July of the year, except in the case of promotion to the grades of Scientist 'F' and Scientist 'G'. This date shall be treated as the date of selection for the purpose of determining their seniority in the grade in respect of all officers cleared for promotion provided they are on duty on that date. However, officers who are away from Establishments, Laboratories or Headquarters on leave on that date, shall assume charge in the grade to which they are promoted with effect from the date they assume duty in their Establishments, Laboratories or Headuarters but this shall not affect their date of selection or their inter-se-seniority in the higher grade vis-a-vis the other officers cleared for promotion by the same Assessment Board. In so far as persons undergoing training in India or abroad (under F.R. 51) are concerned, they shall be promoted in the next higher grade with effect from the date they would have been so promoted had they not proceeded on training subject to the following conditions being fulfilled :—

(i) The period of such training is treated as duty under F.R. 9(6)(b);

(ii) They have been approved for promotion to the next higher grade;

(iii) All their seniors except those regarded as unfit promotion to the particular grade available have been promoted to that grade."

(8) in sub-rule (3) of rule 8, the words "selection of officers under the different methods specified in clause (2) to (6) of rule 6, for future maintenance of service shall be made in consultation with the Commission except when appointing a Central Government Group 'A' officer on deputation" shall be omitted.

(9) for Schedule I, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE I

[See rule 8 sub-rule (2)]

Constitution of Assessment Board for assessing suitability of officers for promotion in the Defence Research and Development Service.

The Assessment Board shall be constituted as under :—

(1) Chairman—Appointed by the Government

(2) Two departmental officers of appropirate status nominated by the Director General Research and Development.—Members.

(3) Two outside experts to be nominated by the "Government"—Members.

(i) The officers mentioned at serial number (2) should normally be at least one level above the level for which the persons are to be considered for promotion.

(ii) the absence of a member of the Board other than the Chairman shall not invalidate the proceedings of the Assessment Board,"

(10) In Schedule III, note 1, for the word "Commission" the word "Government" shall be substituted.

[10351/DRDS/RD/Pers-1/3929/D(R&D)]

M. L. SALHOTRA, Under Secy.

Note : The Defence Research and Development Service Rules, 1979, were published in the Gazette of India, Part II, Section 4, vide SRO 8 dated the 30th December, 1978 and have been amended vide SRO 307 dated the 10th October, 1980, SRO 196 dated the 2nd August, 1982, SRO 159 dated 6th May, 1983, SRO 176 dated the 7th August, 1984, SRO 228 dated the 13th November, 1984 and SRO 170 dated the 12th July, 1985.

EXPLANATORY MEMORANDUM TO S.R.O. . DATED . . .

The Union Public Service Commission (Exemption from Consultations) Regulations, 1958 were amended vide G.S.R. 512 dated the 18th May, 1985, notified in the Gazette of India on the 1st June, 1985, in Part II, Section 3, sub-section (i) at page 1310, to include recruitment and promotions of Scientific and Technical Personnel in the Defence Research and Development Organisation under the Ministry of Defence, in the Schedule to the Regulations. As a consequence of this amendment the Defence Research and Development Service Rules, 1979, are being amended by this SRO. Since the amendment to the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958, is effective from the 1st June, 1985, the Defence Research and Development Service (second amendment) Rules, 1985 are being made applicable with effect from the same date, that is, the 1st June 1985. Making these rules effective retrospectively shall not adversely affect the interest of any member of the service.

Attested

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54